# न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)

पीठासीन अधिकारी :–विकास पंचोली (R.A.S.)

---

प्रकरण संख्या 115/2024

जीसीएमएस न0 2024/458

1. श्री विकास पुत्र अशोक जी जाति जैन निवासी बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

––– प्रार्थी

बनाम

1. अभय कुमार पिता बालचंद जी जैन निवासी बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा।

2. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सा0 निम्बाहेड़ा राज0

– विपक्षीगण

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| उपस्थित :– | 1– | श्री विशाल कुमावत– | | अधिवक्ता प्रार्थी |
| | 2– | पेरोकार सरकार | – | स्वयं उपस्थित |
| | 3– | श्री महावीर जैन | – | अधिवक्ता अप्रार्थी |

**:: निर्णय ::** दिनांक – 06.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ग्राम बांगरेड़ा पटवार हल्का बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 566 की आराजी नंबर 610 रकबा 1.4600 हैक्टेयर स्थित है, जिसके मूल साबिक आराजी नंबर 391/1 रकबा 5 बिघा 16 बिस्वा है।

2. प्रार्थी की खातेदारी की आराजी के पास ही मूल साबिक आराजी नंबर 391/1 मीन रकबा 1 बिस्वा जिसके नवीन आराजी नंबर 623 रकबा 0.0100 हैक्टेयर है, जो कि नक्शे में रकबा 0.0100 हैक्टेयर से अधिक तरमीम हो गया हैं, जबकि उक्त रकबा मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार मात्र 0.0100 हैक्टेयर है और नपती इसी नपती अनुसार नवीन न[illegible]था, लेकिन नक्शे में इसका रकबा बड़ा तरमीम कर दिया है, जिस[illegible] को नुकसान हो रहा है, क्योंकि मुझ प्रार्थी की आराज[illegible] के अंदर से ही विपक्षी स. 1 की आराजी नंब[illegible] नक्शे में तरमीम हो ग[illegible] इसलिये नक्शे की तरमीम की दुरुस्ती किया जाना आवश्यक है, क्योंकि न[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner

रकबा 0.0100 हैक्टेयर का जो रकबा है वो छोटा तरमीम होना चाहिये और जो शेष जमीन बचती है वो मुझ प्रार्थी की आराजी नंबर 610 रकबा 1.4600 हैक्टेयर में तरमीम होना चाहिये।

3. प्रार्थी को उक्त नक्शे में गलत तरमीम की जानकारी पूर्व में समुचित रूप से नहीं थी, अभी हाल ही में राजस्व नवशा ट्रेस की नकले ली और मिलान क्षेत्रफल की नकलें प्राप्त की तब मुझे उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुई कि मुझ प्रार्थी की आराजी नंबर 610 रकबा 1.4600 हैक्टेयर नक्शे अनुसार कम दर्ज है और मुझ प्रार्थी का शेष रकबा विपक्षी सं. 1 की आराजी नंबर 623 रकबा 0.0100 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस में बड़ा अंकन होने से उसमें दब गया हैं, इसलिये नक्शे की गलत तरमीम को सही किया जाकर इंद्राज दुरूस्त किया जाना आवश्यक हैं। मुझ प्रार्थी ने अपने स्तर पर गलत तरमीम को सही कराने हेतु प्रयास किया परंतु राजस्व कर्मचारियों द्वारा दावा करने की सलाह दी गयी इसलिये श्रीमान् के समक्षयह कार्यवाही पेश करनी पड़ रही है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी क्रमांक 1 की ओर से अधिवक्ता श्री महावीर जैन ने वकलातनामा मय सहमति जवाब पेश किया। विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम बांगरेड़ा के हाल आराजी नंबर 610 रकबा 1.46 हैक्टेयर के गत भू प्रबंध साबिक आराजी नंबर 391 तथा हाल आराजी नंबर 623 रकबा 0.01 हैक्टेयर के साबिक आराजी नंबर 391/1 मीटर रकबा 0.01 बिस्वा होना मिलान क्षेत्रफल से मिलान होता है। गत आराजी नंबर 391/1 का रकबा गत नक्शा में रकबा 1 बिस्वा गलत तरमीम होना गत संलग्न नक्शा से स्पष्ट है और उसके आस पास का क्षेत्र गत आराजी नंबर 391 का हिस्सा होना स्पष्ट मिलान होता है। हाल भू प्रबंध द्वारा आराजी नंबर 623 रकबा 0.01 का रकबा 0.10 हैक्टेयर से अधिक हाल आराजी नंबर 610 के क्षेत्र में कर दिया है जो गत नक्शा, रकबा व मौका से मिलान नहीं होकर शुद्धि योग्य है। हाल आराजी नंबर 623 का दर्ज रकबा 0.010 हैक्टेयर होने से भी तरमीम दुरूस्ती होना न्याय संगत है। गत व हाल नक्शा/रकबा/तरमीम का मिलान नहीं होने से मौजा बांगरेड़ा की हाल आराजी नंबर 623 रकबा 0.010 किस्म भूमि गै.मु. चाह की तरमीम प्रस्तावित नक्शा अनुसार रकबा 0.010 हैक्टेयर होना व इसका भोश रकबा हाल आराजी नंबर 610 [illegible] प्रस्तावित नक्शानुसार तरमीम किया जाना गत रेकॉर्ड नक्शा व मौका से मिलान [illegible] उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

5. दोंनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस [illegible] गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त

Scanned by CamScanner

जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया।

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:–

> *136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties*
>
> एवं
>
> <u>धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (**Maintenance**)</u> – सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू–अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो
> राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू–सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्राव[illegible] प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रा[illegible]व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना[illegible] प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की [illegible]–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

8. प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि ग्राम बांगरेड़ा पटवार हल्का बांगरेड़ा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 566 की आराजी नंबर 610 रकबा 1.4600 हैक्टेयर स्थित है, जिसके मूल साबिक आराजी नंबर 391/1 रकबा 5 बिघा 16 बिस्वा हैक्टेयर है। आराजी नंबर 623 रकबा 0.0100 हैक्टेयर भूमि के नक्शे में रकबा 0.0100 हैक्टेयर से अधिक तरमीम हो गया हैं, जबकि उक्त रकबा मौके पर एवं राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अनुसार मात्र 0.0100 हैक्टेयर है। प्रार्थी की आराजी नंबर 610 रकबा 1.4600 हैक्टेयर के अंदर से ही विपक्षी स. 1 की आराजी नंबर 623 का रकबा ज्यादा नक्शे में तरमीम हो गया है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

## आदेश

तहसीलदार निम्बाहेड़ा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बांगरेडा के आराजी नम्बर 623 रकबा 0.01 हैक्टेयर भूमि किस्म गे0मु0चाह की तरमीम प्रस्तावति नक्शा अनुसार रकबा 0.01 हैक्टेयर पर की जावे तथा वतर्मान इस आराजी का तरमीम शेष रकबा आराजी नम्बर 610 में शामिल तरमीम किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेड़ा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट एवं नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम की जावें। निर्णय आज दिनांक 06.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:43:04 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

Scanned by CamScanner